

कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल

वक्फ इदारा यतीम खाना शाहजहाँनी वाके मुत्तासिल जहाँगीरिया भोपाल।

दुकानों का आवंटन/नीलामी निविदा क्रमांक 01

वक्फ इदारा यतीम खाना शाहजहाँनी वाके मुत्तासिल जहाँगीरिया भोपाल में लगने वाले वार्षिक इज्तिमा बाजार 2026-27 में दुकानों का आवंटन/नीलामी हेतु निर्धारित दर अनुसार नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. आवेदन आज दिनांक से दिनांक 11.11.2026 की शाम 5 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।
2. आवेदन बन्द लिफाफे में कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल में कार्यालयीन दिवस में समय प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक जमा किये जा सकेंगे।
3. आवेदन दिनांक 13.11.2026 को सुबह 10 बजे कार्यालय मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के मीटिंग हॉल में खोले जाएंगे। उक्त दिनांक में आवेदक आवश्यक रूप से उपस्थित रहें। आवेदकों को अलग से सूचित नहीं किया जायेगा।
4. दिनांक 11.11.2026 को जिन दुकानों के आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं या किसी कारणवश प्राप्त आवेदन निरस्त किये जाते हैं तो उन दुकानों के आवेदन पुनः दिनांक 14-11-2026 को समय 11 से 2 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जो दिनांक 14-11-2026 को ही शाम 4 बजे खोले जायेंगे।
5. प्रत्येक दुकान का न्यूनतम (Minimum) किराया एवं क्षेत्रफल का चार्ट कार्यालय के कम्पस में होर्डिंग के रूप में एवं सूचना पटल पर चस्पा हैं।
6. दुकानों की नीलामी हेतु चस्पा किए गए चार्ट एवं नक्शा पिछले साल आवंटन अनुसार किया गया है। यदि किसी आवेदक के पास पूर्व में निरंतर दो, तीन, चार एवं पाँच दुकानें वैध किराये पर थी तो उपरोक्त दुकानों को दुकान नं. के साथ-साथ सह नंबर A,B,C,D आदि से दर्शाया गया है एवं उसी नंबर से ही दुकानों की नीलामी की कार्यवाही की जाएगी। इस सह नंबर में केवल एक या दो दुकान हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. इज्तिमा बाजार में दुकानें ब्लॉक एवं नंबर अनुसार चार्ट/नक्शा दर्शाई गई हैं। यदि कोई आवेदक एक से अधिक दुकान अलग-अलग लेने का इच्छुक है तो उन्हें प्रत्येक दुकान का अलग-अलग आवेदन बंद लिफाफे में देना होगा।
8. आवेदनकर्ता इज्तिमा बाजार स्थल का भ्रमण करने के उपरांत ही अपने आधार की छायाप्रति सहित आवेदन प्रस्तुत करें।
9. आवेदनकर्ता को चार्ट अनुसार दुकाने लेने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
10. दुकानों की नीलामी चार्ट अनुसार ब्लॉक अनुसार की जाएगी। असफल आवेदक केवल पुराने वैध किरायेदार अपना आवेदन अगले ब्लॉक की नीलामी आरंभ होने से एक घण्टा पूर्व कार्यालय में बंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकेंगे।
11. आवेदक एक ब्लॉक में निरंतर पाँच दुकानों से अधिक के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।
12. चार्ट अनुसार प्रत्येक दुकान के लिये आवेदन के साथ धरोहर राशि रु 10,000/- (दस हजार रुपये) का डी.डी. जोकि CEO, MP Waqf Board Bhopal के नाम देय हो, जमा करना होगा। यदि आवेदक एक से अधिक दुकानों के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो प्रत्येक दुकान के लिए पृथक-पृथक धरोहर राशि डी.डी. के रूप में जमा करनी होगी।
13. बिना डी.डी. आवेदन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।
14. आवेदन में ब्लॉक नं. एवं दुकान सह. क्र. एवं किराया राशि का ऑफर स्पष्ट अक्षरों में लिखना होगा।

15. आवेदक अपना आवेदन पूर्ण जानकारी के साथ सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करेंगे एवं लिफाफे पर चार्ट अनुसार दुकान नं., ब्लॉक नं. एवं अपना नाम मोबाईल नं. सहित स्पष्ट रूप से लिखेंगे।
16. न्यूनतम किराये से कम का ऑफर निरस्त कर दिया जायेगा।
17. यदि कोई नया आवेदक चार्ट अनुसार दुकान के लिए उच्चतम ऑफर राशि लगाता है तो उस दुकान पर गतवर्षों से काबिज़ पुराने वैध दुकानदार को पहला अधिकार दिया जाएगा।
18. पुराने दुकानदार को समिति के समक्ष उच्चतम आफर किराया राशि के बराबर किराया देने की लिखित सहमति देने का अवसर दिया जाएगा। यदि पुराना किरायदार उस उच्चतम राशि को मेच करने के लिए तैयार हो जाता है तो दुकान का आवंटन पुराने किरायदार के पक्ष में ही किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में एच-1 को आवंटित कर दी की जाएगी। एवं एच-1 अगले ब्लॉक में बोली लगाने हेतु अधिकृत होगा।
19. संबंधित दुकानों के पुराने किरायदार यदि अपनी दुकानें पूर्व अनुसार लेने हेतु इच्छुक हैं, तो उन्हें अपने आवेदन के साथ पिछले वर्षों की वक्फ किराया रसीद या आवंटन पत्र की छायाप्रति/आधार कार्ड लगाना अनिवार्य होगा जिन्हें उच्चतम आफर के आधार पर आवंटित की जा सकेगी।
20. चार्ट अनुसार प्रत्येक दुकान के लिये एच-1, एच-2, एच-3 आवेदनकर्ता की डी.डी. कार्यालय में जमा रहेगी एवं शेष आवेदनकर्ताओं की डी.डी. वापस कर दी जायेगी।
21. एच-1 आवेदनकर्ता का आवेदन स्वीकृत होने के उपरांत उसके द्वारा जमा धरोहर राशि 10,000/- (दस हजार रुपये) को स्वीकृत आवंटित कुल राशि जो कि जमा योग्य है, में समायोजित करते हुए, शेष बची राशि आवेदनकर्ता को दिनांक 14.11.2026 तक कार्यालय में जमा करना होगी।
22. आवेदन स्वीकृति उपरांत एच-1 द्वारा 14.11.2026 को देय राशि पूर्ण रूप से जमा नहीं की जाती है तो एच-1 की धरोहर राशि 10,000/- रुपये जप्त करते हुए, एच-2 का आवेदन स्वीकार कर लिया जायेगा।
23. आवेदन स्वीकृति उपरांत यदि एच-2 द्वारा भी दिनांक 15.11.2026 देय राशि पूर्ण रूप से जमा नहीं की जाती है तो एच-2 की धरोहर राशि 10,000/- रुपये जप्त करते हुए, एच-3 का आवेदन स्वीकार कर लिया जायेगा।
24. आवेदन स्वीकृति उपरांत एच-3 द्वारा भी दिनांक 16.11.2026 देय राशि पूर्ण रूप से जमा नहीं की जाती है तो एच-3 की धरोहर राशि 10,000/- रुपये जप्त की जाकर चार्ट अनुसार उक्त दुकान हेतु पुनः आवेदन बुलाए जाएंगे। इसके लिए पृथक से समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी।
25. आवेदन में दिये गये ऑफर किराये पर दुकान आवंटित किये जाने के उपरान्त प्रत्येक वर्ष पट्टा नियम अनुसार निर्धारित न्यूनतम किराया राशि में बढ़ोत्तरी की जायेगी।
26. किसी कारण के होते हुये किसी भी आवेदन को निरस्त करने का अधिकार पूर्णतः कार्यालय म. प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल को रहेगा।
27. एक दुकान से मुराद नंबर डाला हुआ खुली जमीन का टुकड़ा होगा जिस पर दुकान बनवाने की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी जो टीन शेड की होगी।
28. दुकान की मुद्दत 60 दिनों के लिये होगी। निर्धारित समय सीमा खत्म होते ही खाली कर देना होगी। आवश्यकता होने पर उक्त समय सीमा 60 दिन में नियमानुसार इजाफा किया जा सकेगा।
29. बिजली सप्लाई के लिये कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड ने ठेकेदार का इन्तेजाम किया है जो दुकानदारों को तय की गई दर से बिजली सप्लाई करेगा। कार्यालय वक्फ बोर्ड से समय समय पर दी गई हीदायात पर अमल करेगा।
30. दुकानदार प्रचलित कानूनों का पूर्णतः पालन करते हुये अपनी दुकान लगाएगा, दुकान की हिफाजत का खुद जिम्मेदार होगा, किसी भी तरह की चोरी या आगजनी की कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

31. कोई भी दुकानदार अपनी दुकान में खाना नहीं पकाएगा। बाजार में स्टोव या दीगर आतिशगीद माद्दे का इस्तेमाल पूरी तरह से मना होगा। डी ब्लॉक में खाना पकाने के लिये शेड में इन्तेजाम है दुकानदार आवश्यकतानुसार लाजिमन वहाँ खाना पकाएंगे।
32. दुकान अलॉट होकर अतिया की रकम जमा हो जाने के बावजूद कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को पूरा इख्तियार है कि किसी कारण के होते हुये किसी भी दुकान को शिफ्ट या निरस्त कर दे। कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड का फैसला काबिले कबूल होगा।
33. अगर दुकानदार दुकान न लगा पाए तो अदाशुदा अतिये की रकम की वापसी का मुतालबा कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड से नहीं करेगा और न ही दुकान किसी को किराए पर देगा।
34. दुकान के आसपास की सफाई रखना दुकानदार की जिम्मेदारी होगी।
35. इज्तिमा बाजार की शुरूआत पूर्वानुसार इज्तिमा दुआ के बाद ही की जाएगी।
36. अतिया की पूरी रकम एडवांस अदा करना होगी।
37. कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड की तरफ से समय समय पर बाजार के सिलसिले में मिलने वाली हिदायात का मुकम्मल तौर पर पाबंद रहना होगा और उन पर सख्ती से अमल करना होगा। बसूरते दीगर किसी भी हादसे की पूरी जिम्मेदारी दुकानदार की होगी।
38. प्रत्येक दुकानदार को अपनी दुकान पर दुकान नंबर, अलॉट नंबर, बल्ब की संख्या, दुकानदार का नाम व मोबाईल नं. अनिवार्य रूप से लिखना होगा।
39. जिस दुकानदार के नाम दुकान अलॉट की जाएगी वही दुकान लगाएगा। अगर किसी ने अपनी दुकान किसी और को दी तो उसकी दुकान फौरन निरस्त कर दी जाएगी और आइंदा उसे बाजार में कोई दुकान नहीं दी जाएगी।
40. यदि कोई दुकान निर्धारित तिथि में नीलाम नहीं हो पाती है तो उसके लिए दिनांक 17.11.2026 को समय 3 बजे तक उपरोक्त शर्तों के अनुसार आवेदन किया जा सकेगा जो उसी दिन शाम 4 बजे बोर्ड कार्यालय में समिति के समक्ष खोला जाएगा एवं अधिकतम बोलीकर्ता को दुकान आवंटित कर दी जाएगी, इसके लिए अलग से समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी।

नोट:- 1. बाजार में दुकान ऊपर लिखी शर्तों पर ही दी जाएगी, पूरे बाजार के दौरान किसी भी वक्त उपरोक्त शर्तों की खिलाफवर्जी पाए जाने की स्थिति में दुकान का अलॉटमेंट फौरन निरस्त कर दिया जाएगा।

2. दुकान का ऑफर किराया एवं ई.एम.डी. बंद लिफाफे में कार्यालय में प्रस्तुत करने से पूर्व उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़े तत्पश्चात आवेदन प्रस्तुत करें। यदि कोई अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना हो तो कार्यालय में उपस्थित हो कर जानकारी प्राप्त करें ताकि आवेदन एवं ऑफर किराये में किसी प्रकार की आशंका न रहे।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल